रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 1989/आश्विन 25, 1911

No. 543] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 1989/ASVINA 25, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1989

सा. का. नि. 901 (अ)—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम 1989 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर. 12016/6/88-पी. ई. 1 (खंड II)]

एस. एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम 1989

महापत्तन अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 में दी गई, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन न्यासी मण्डल निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : इन विनियमों का "मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989" कहा जाएगा।

2. विनियोग का विस्तार : ये विनियम (1) मुरगांव पत्तन न्यास के सेवा निवृत्त कर्मचारी और उनके पति/पत्नी पर लागू होंगे तथा (2) मुरगांव पत्तन न्यास में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरा करने के बाद सेवाकाल में मृत/मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के जीवित पति/विधवा और कर्मचारी के नाबालिग बच्चे तथा सरकारी/निजी उपक्रमों में नौकरी में लाभ नहीं मिलता है एवं उपक्रम के किसी चिकित्सा योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, पर भी लागू होंगे।

इन विनियमों में "सेवा निवृत्त मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी" से तात्पर्य होगा —

(क) सभी श्रेणी के कर्मचारी अर्थात् श्रेणी 1, श्रेणी-2, श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4, जिन पर लागू सेवा विनियम के तहत अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर मुरगांव पत्तन न्यास की सेवा से सेवा निवृत्त हुए हैं/सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

(ख) श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के कर्मचारी, जो जरूरी नोटिस अथवा इस प्रकार के नोटिस के बदले के वेतन तथा भत्तों की अदायगी कर सेवा निवृत्त हुए हैं/सेवा निवृत्त होने वाले हैं अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जरूरी नोटिस अथवा इस प्रकार की नोटिस के बदले वेतन तथा भत्तों की अदायगी कर सेवा निवृत्त हुए हैं/सेवा निवृत्त होने वाले हैं और श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के कर्मचारी, जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त

करने के बाद जरूरी नोटिस अथवा इस प्रकार की नोटिस के बदले वेतन तथा भत्तों की अदायगी कर सेवा निवृत्त हुए हैं/सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

(ग) कर्मचारी, जिनकी श्रेणी का लिहाज किए बिना, मुरगांव पत्तन न्यास में 10 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सेवा से असमर्थ हुए हैं/असमर्थ होने वाले हैं।

2. (2) इन विनियमों के तहत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य के रूप में नाम लिखवाने का विकल्प कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर देना होगा। पहले ही सेवा निवृत्त, मुरगांव पत्तन न्यास में 10 वर्ष की निरंतर सेवा करने के बाद सेवा काल में मृत/मृत होने वालों के मामले में, सेवा निवृत्त कर्मचारी और/अथवा आश्रित द्वारा इस प्रकार का विकल्प इन विनियमों के लागू होने अथवा मृत्यु की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी स्थिति है, प्रस्तुत करना होगा।

3. विस्तार (1) इन विनियमों के इसके बाद विनिर्दिष्ट अंशदान का भुगतान करने के बाद, मुरगांव पत्तन न्यास में सेवारत कर्मचारियों के लिए मुरगांव के पत्तन कर्मचारियों (चिकित्सा उपचार) विनियम, 1969 में प्रावधान किये गये शर्तों पर ही सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी और ये सुविधाएं इसके आगे इन विनियमों में विर्दिष्ट किये जाने वाली शर्तों के अधीन होंगी।

(2) हिताधिकारी अपने आवास पर मण्डल के डाक्टरों की चिकित्सा परिचर्या के लिए हकदार नहीं होंगें।

(3) इन विनियमों के तहत अंतरंग चिकित्सा परिचर्या और उपचारों के प्रयोजन के लिए कुछ शायिकाओं को अलग रखा जाएगा और इन्हें निम्नलिखित शर्तों पर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा:—

(क) सेवारत कर्मचारी और उनके आश्रितों को आबंटन में वरीयता देने के बाद ही सेवा निवृत्त कर्मचारी और/अथवा उनके पति या पत्नी और मुरगांव पत्तन न्यास में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरा करने के बाद रोग-शय्या में मृत कर्मचारी के पति या पत्नी और आश्रित नाबालिग बच्चों का शायिका का आबंटन किया जाएगा।

(ख) यदि इस प्रकार की शायिकाएं खाली है और जरूरत पड़ने पर इन्हें सेवारत कर्मचारी और उनके पति या पत्नी को तथा मृत कर्मचारी के हकदार पति या पत्नी/आश्रित नाबालिग बच्चों को आबंटित किया जाएगा।

(ग) यदि इस प्रकार की शायिका का आबंटन सेवारत कर्मचारी और/अथवा उनके आश्रितों का किया गया है और बाद में इन विनियमों के तहत हिताधिकारी को शायिका की जरूरत है, तो सेवारत कर्मचारी और/अथवा उनके आश्रितों को समय से पहले छुट्टी नहीं दी जाएगी और इन विनियमों के तहत हिताधिकारी को शायिका की जरूरत है, तो उन्हें अस्पताल में शायिका उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

(घ) मुरगांव पत्तन अस्पताल में दाखिल चाहने वाले इन विनियमों के हिताधिकारी की चिकित्सा परिस्थितियां इस प्रकार है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्णय के अनुसार उसे चिकित्सा परिचर्या अथवा अस्पताल में दाखिला आपातकाल के रूप में देना जरूरी है, तो हिताधिकारियों के लिए निर्धारित शायिकाओं से अधिक संख्या की शायिका के लिए दाखिला दिया जाएगा किन्तु अस्पताल में रखने की अधिकतम अवधि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जरूरी समझी जाने वाली अवधि से अधिक नहीं होगी।

4. अंशदान: (1) इन विनियमों के तहत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य बनना पूर्णतः ऐच्छिक है। इस विनियम के तहत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी/उनके पति या पत्नी/मृत कर्मचारियों के हकदार नाबालिग आश्रित बच्चे, जो कि अपने सेवा निवृत्त बकाया में से अथवा नगद के रूप में एक मुश्त अंशदान देते है, वही हकदार होंगें। एक समय एक मुश्त अंशदान की राशि मण्डल द्वारा समय समय पर नियत किया जाएगा।

टिप्पणी :— इस विनियम के प्रयोजन के लिए "श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3 श्रेणी-4 का अर्थ वही हो जिसे कि क्रमश: मुरगांव पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम 1964 में दिया गया है। तथापि वास्तविक वर्गीकरण कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा से असमर्थता के समय कर्मचारी द्वारा धारित पद के संदर्भ में नियत किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के तहत जब तक सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उसके पति या पत्नी और मृत कर्मचारी के हकदार, उनके जीवित पति या पत्नी द्वारा नियत एक समय एक मुश्त अंशदान नहीं दिया जाता है तब तक लाभ के लिए हकदार नहीं होंगें।

(3) एकमुश्त अंशदान अथवा इसका अंशदान की अदायगी करने के बाद विनियम 5(4) में किए गए प्रावधान को छोड़कर हर हालत में वापिस नहीं किया जाएगा।

(4) श्रेणी के रूप में उपचार प्राप्त करने समय यदि भोजन दिया गया हो, तो इसके लिए पूरे शुल्क के साथ-साथ 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा।

(5) रोगी के रूप में उपचार प्राप्त करते समय रक्त उपलब्ध कराया गया हो, तो इसके लिए पूरा शुल्क वसूला जाएगा।

5. पंजीकरण (1) इन विनियमों के तहत चिकित्सा सुविधाओं के लिए परिशिष्ट "क" (संलग्न) के निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन दो प्रतियों में करना होगा और यह आवेदन कर्मचारी जिस विभाग से सेवानिवृत्त/सेवा से असमर्थ हुआ है उस विभाग के अध्यक्ष को करना होगा और यदि कर्मचारी मृत है, तो उनके पति या पत्नी/आश्रित बच्चों द्वारा आवेदन करना होगा, ताकि इस आवेदन में बताये विवरण की जांच की जा सके। आवेदन प्रस्तुत करते समय सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसके पति या पत्नी और नाबालिग बच्चों को, जो भी स्थिति है, के दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ प्रोफार्मा "ग" (संलग्न) में यह घोषणा करते हुए कि वह किसी सरकारी/निजी उपक्रम में लाभ प्राप्त करते हुए नौकरी नहीं कर रहे है और उपक्रम के किसी के भी योजना द्वारा चिकित्सा लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है तथा उपर्युक्त पैरा में बताये गये एकमुश्त रकम की अदायगी की गई है, आवेदन कर्मचारी जिस विभाग से सेवा निवृत्त हुआ है/सेवा से असमर्थ हुआ, उस विभाग के अध्यक्ष के पास भेज देना होगा यह घोषणा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को नवीकृत किया जाना होगा।

(2) विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद उस विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के संदर्भ में आवेदन की जांच कर उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया जाएगा। विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास आवेदन भेजने से पहले नीचे लिखे अनुसार प्रमाणपत्र भी लिखेगा।

"इस विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के साथ आवेदन के विवरण की मैंने खुद जांच की है और यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन मुरगांव पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ विनियम, 1989 के तहत प्राप्त करने के लिए हकदार है।"

(3) यदि यह पाया गया हो कि इन विनियमों के तहत आवेदक किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष लिखित रूप में आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(4) इस विनियम के उप विनियम (2) के अनुसार यदि यह पाया गया कि आवेदक इन विनियमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के प्रतिनिधि की सलाह के आधार पर आवेदक द्वारा अदा की गई एकमुश्त रकम को वापिस किया जाएगा।

(5) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सिफारिश प्राप्त करने के बाद मुरगांव पत्तन न्यास के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेवा निवृत्त /सेवा से असमर्थ कर्मचारी अथवा उनके पति या पत्नी अथवा हकदार आश्रित बच्चों को, जो भी स्थिति है, परिशिष्ट "ख" में निर्धारित प्रोफार्मा में एक पहचान पत्र जारी करेगा और इस पर फोटोग्राफ की एक प्रति चिपकायी जाएगी। फोटोग्राफ की दूसरी प्रति आवेदन पर चिपकाई जाएगी और रिकार्ड के लिए रखी जाएगी।

(6) सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उन के पति या पत्नी किसी सरकारी/निजी उपक्रम में लाभदायक नौकरी कर रहे हैं और उपक्रम के किसी चिकित्सा लाभ योजना में शामिल है, तो उन्हें तत्काल लिखित रूप में इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी। इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के बाद उन्हें जारी पहचान पत्र रद्द करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जरूरी कार्यवाई करेंगे।

(7) महीने के दौरान इस प्रकार जारी/रद्द पहचान पत्रों की मासिक विवरणी अगले महीने की 10 तारीख अथवा इससे पहले वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी को भेज दिया जाएगा।

6. सरकारी/निजी उपक्रमों में लाभदायक नौकरी कर रहे सेवा निवृत्त कर्मचारी और अथवा उनके पति या पत्नी/पात्र मृत कर्मचारी के पति या पत्नी द्वारा दिये जाने वाले प्रभार इस प्रकार रहेंगे :- (1) मण्डल के अस्पताल से जांच, दवाइयां और प्राप्त अन्य सुविधाओं के लिए बाहरी संस्थाओं के दर पर पूर्ण चिकित्सा प्रभार लगाये जाएंगे तथा इसके लिए एक रसीद जारी की जाएगी, ताकि वे अपने नियोक्ता से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकें।

(2) रोगी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और सहायक चिकित्सा अधिकारी के पास दिखाने के लिए बहिरंग रोगी परामर्श फीस के रूप में क्रमशः रु 6, रु. 5 और रु. 3 वसूला जाएगा।

(3) जब सेवा निवृत्त कर्मचारी/उनके पति या पत्नी/पात्र आश्रित बच्चा, जो भी स्थिति है, मण्डल के अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में दाखिला लेते हैं, तो अग्रिम भुगतान के शर्त पर दाखिला दिया जाएगा। कथित रकम की गणना इस प्रकार की जाए कि आपरेशन शुल्क आदि सहित शायिका शुल्क भी शामिल हो और यह आरम्भ में 10 दिन की अवधि के लिए तथा न्यूनतम रकम रु. 100 होगी।

(4) यदि 10 दिन की अवधि के दौरान प्रत्याशित की जाती है कि सेवा निवृत्त कर्मचारी/उनके पति या पत्नी अथवा पात्र आश्रित बच्चे, जो भी स्थिति है, का उपचार और अधिक दिनों तक चल सकता है, तो शेष दिनों के लिए शुल्क आदि की रकम को अग्रिम रूप में वसूला जाएगा।

(5) रोगी को दाखिला देने के लिए सलाह देने वाले डाक्टर की अपनी वैयक्तिक जिम्मेदारी होगी और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वार्ड में रोगी को दाखिला देने से पहले अग्रिम भुगतान किया जाएगा। यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी/उनके पति या पत्नी अथवा आश्रित नाबालिग बच्चे, जो भी स्थिति है, प्रत्याशित दिनों से पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी, तो इस स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से रोगी की स्थिति का उचित स्पष्टीकरण के साथ सलाह प्राप्त करने के बाद वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी शेष रकम वापिस कर देंगे।

(6) इस उप-विनियम में बताये गये शुल्क के बाबत वसूली गई रकम के ब्यौरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रखे गये पंजी में दर्ज किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए प्रावधान किये गये कालम में नकद रसीद संख्या आदि सूचित करते हुए अगले दिन रकम वित्तीय सलाहकार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिया जाएगा।

(7) सभी अंतरंग रोगी मामलों की समापन रिपोर्ट वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पास अवश्य भेज दिया जाए, ताकि प्राप्त अग्रिम रकम और उचित खाता में रखे रकम का अंतिम समायोजन किया जा सके।

(8) आंतरिक जांच और इस सम्बन्ध में जमा की गई रकम का लेखा-जोखा रखने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी। वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी अपने आवधिक निरीक्षण के दौरान उपर्युक्त पैरा के अनुसार पंजी को ठीक-ठाक रखने आदि की छान-बीन करेंगे।

7. अर्थदण्ड :– (1) विनियम 5(1) में बताये गये घोषणा का नवीकरण करने की संपूर्ण जिम्मेदारी सेवा निवृत्त कर्मचारी/उनके पति या पत्नी/मृत कर्मचारी के पति या पत्नी/नाबालिग आश्रित बच्चे, जो भी स्थिति है, की होगी।

(2) सेवा निवृत्त कर्मचारी/उनके पति या पत्नी / मृत कर्मचारी के पात्र पति या पत्नी /आश्रित नाबालिग बच्चे जिन्होंने एक समय एकमुश्त भुगतान कर इन विनियमों के तहत लाभ उठाये है और बाद में यह पता चलता है कि उपचार प्राप्त करने की अवधि के दौरान वे सरकारी/निजी उपक्रम में लाभदायक नौकरी कर रहे है, तो पहले से भिन्न रोगी कर्मचारी से संपूर्ण चिकित्सा के लिए लागत की दर पर और संपूर्ण प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ रकम वसूली जाएगी तथा वे इन विनियमों के तहत आगे लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं होंगे।

8. विविध—1 विनियम 5(1) के तहत सदस्य के रूप में पंजीकृत कोई सेवा निवृत्त/उनके पति या पत्नी/मृत कर्मचारी के पात्र पति या पत्नी बाद में किसी सरकारी/निजी उपक्रम में लाभदायक नौकरी प्राप्त करते हैं, तो वे विनियम 6 के तहत चिकित्सा परिचर्या प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। तथापि, सरकारी/निजी उपक्रम में नियुक्ति के समापन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिसूचित करने के बाद खण्ड 5(1) अर्थात् क्लाज 5(1) के तहत सदस्य के रूप में इन विनियमों के तहत लाभ उठाने के लिए उन्हें हक होगा, जब कि खण्ड 5 के तहत सदस्य के रूप में इन विनियमों के तहत लाभ का फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा।

(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पहचान पत्र में नामनिर्देशित व्यक्तियों को ही चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।

(3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन विनियमों के तहत जिन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी उन व्यक्तियों के नाम दर्शाते हुए परिशिष्ट "ग" (खण्ड) में दर्शाये गये अनुसार सहज में एक पंजी रखेंगे और वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी के आवधिक निरीक्षण के दौरान इस पंजी को उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

9. सेवा निवृत्त कर्मचारियों को प्रदत्त चिकित्सा लाभ पर व्यय :– इन विनियमों के तहत हिताधिकारी से वसूले गये अंशदान और अन्य शुल्कों को मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी कल्याण निधि में जमा कराया जाएगा चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए होने वाले व्यय को इसी निधि से पूरा किया जाएगा।

10. व्याख्या :- इन विनियमों की व्याख्या के लिए उत्पन्न होने वाले संशय को अध्यक्ष मुरगांव पत्तन के पास भेज दिया जाएगा और उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

परिशिष्ट "क"

मुरगांव पत्तन न्यास

मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन

1 सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम

2. (क) पदनाम
   (ख) स्टाफ संख्या
   (ग) विभाग

3. तारीख—(1) नियुक्ति
   (2) सेवा निवृत्ति

4. प्राप्त अंतिम वेतन

5. जीवित पत्नी/पति और आश्रित बच्चों के नाम जन्म तिथि के साथ
   (जन्म प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि	वर्तमान आयु
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

6. आवेदक का नाम

7. स्थायी पता

(आवेदक का हस्ताक्षर)

टिप्पणी :—

इस योजना में सम्मिलित होने वाले सदस्यों का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो को इसके साथ संलग्न करें।

परिशिष्ट "ख"

मुरगांव पत्तन न्यास

मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन

पहचान पत्र सं.

1. सेवा निवृत्ति कर्मचारी का नाम : श्री/श्रीमती

2. जीवित पत्नी/पति का नाम

3. आश्रित का नाम
   (केवल मुरगांव पत्तन न्यास में 10 वर्ष की सेवा के बाद मृत कर्मचारियों के लिए है)

नाम	जन्म तिथि	वर्तमान आयु
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

4. विभाग का नाम और स्टाफ संख्या सहित सेवा निवृत्ति की तारीख को पदनाम :

5. सेवा निवृत्ति की तारीख

6. प्राप्त अंतिम वेतन

7. अंशदान की दर

8. पहचान के चिन्ह

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

9 भुगतान का विवरण
(1)
(2)
(3)

10 सेवा निवृत्त कर्मचारी/आवेदक के हस्ताक्षर

11 रबड़ की मोहर सहित विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

परिशिष्ट "ग"

मुरगाव पत्तन न्यास

मुरगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989 में सम्मिलित होने समय और बाद में प्रत्येक वर्ष के अप्रैल की पहली तारीख को सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा भरा जाने वाला घोषणा।

1 मैं अधोहस्ताक्षरी——————————————स्टाफ सं——————पदनाम——————————विभाग, जो कि दिनांक——————————से मण्डल की सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हूं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं किसी भी सरकारी अथवा निजी उपक्रम में नौकरी कर रहा हूं/नहीं कर रहा हूं और इस उपक्रम के किसी चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आता हूं/नहीं आता हूं।

2 (किसी सरकारी अथवा निजी उपक्रम में लाभदायक नौकरी करनेवालों के मामले में)

3 मैं इस नौकरी में दिनांक——————————से काम कर रहा हूं और यह दिनांक——————————से दिनांक——————————तक की अवधि के लिए ही है। मुझे मालूम हुआ है कि मुरगांव पत्तन न्यास (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1987 के अनुसार इस नौकरी की अवधि के दौरान मुझे मण्डल के अस्पताल से निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क जांच जैसी सुविधाओं के लिए मैं हकदार नहीं हूं।

हस्ताक्षर——————————
पहचानपत्र संख्या——————————
जारीकर्ता——————————

परिशिष्ट "घ"

मुरगाव पत्तन न्यास

मुरगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989 के तहत रखी जानेवाली पंजी का नमूना।

सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम	सेवा निवृत्त कर्मचारी सहित परिवार के सदस्यों की संख्या	पदनाम, स्टाफ संख्या और विभाग का नाम	जिनके मुख्य लेखा/मुख्य वित्त अधिकारी के पास जमा अंशदान की रकम					टिप्पणी
			अवधि दिन——से दि——तक	रकम रु.	भुगतान की तारीख	नकद रसीद संख्या	अंशदान वसूलने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Ports Wing)

New Delhi, the 16th October, 1989

NOTIFICATION

G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government herby approves the Mormugao Port Trust Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. PR-12016|6|88-PE.I]
S. N. KAKAR, Jt. Secy.

SCHEDULE

MORMUGAO PORT TRUST EMPLOYEES (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1989

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—These Regulations may be called 'Mormugao Port Trust Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulation, 1989'.

2. Extent of application.—These Regulations are applicable to (i) retired MPT employees and their husbands|wives and (ii) surviving husbands|widows and the dependant minor children of the employees who died|may die while in service after completion of 10 years of continuous service in Mormugao Port Trust and that he or she is not gainfully employed in the public|private undertaking and covered by any medical benefit scheme of the undertaking. "Retired MPT employees" in relation to these Regulations means :—

(a) Employees of all classes, namely, Class I, Class II, Class III and Class IV who have retired|may retire from the Mormugao Port Trust service on attaining the age of superannuation under the service regulations applicable to them.

(b) Class I and Class II employees who have retired|may retire by giving the requisite notice or pay and allowances in lieu of such notice or are|may be retired by giving the requisite notice or pay and allowances in lieu of such notice after attaining the age of 50 years and all Class III and Class IV employees who have retired|may retire by giving the requisite notice or pay and allowance in lieu of such notice after attaining the age of 55 years.

(c) Employees irrespective of their class, who were invalidated|may be invalidated from service after putting 10 years of continuous service in Mormugao port Trust

(2) The option to enroll as members for obtaining medical benefits under these Regulations should be given within a month of the date of retirement. In case of those who have already retired, died|may die while in service after completion of 10 years of continuous service in Mormugao Post Trust, such option should be exercised by the retired employee and|or dependant within 3 months from the date these Regulations come into effect or death as the case may be.

3. Scope.—(1) On payment of contribution hereafter specified in these Regulations, medical facilities on the same scale and conditions provided in the Mormugao Port Employees' (Medical Attendance) Regulations, 1969 for the employees in service with Mormugao Post Trust will be made available to the members and will be further subject to the conditions specified hereafter in these Regulations.

(2) The beneficiaries will not be entitled to medical attendance of Board's doctors at their residences.

(3) For the purpose of indoor medical attendance and treatment to the beneficiaries under these regulations certain number of beds would be earmarked and the same would be available to them, subject to the following conditions :—

(a) The bed will be allotted to the retired employees and|or their spouses and dependent minor children of employees who die in harness after completion of 10 years of continuous service in Mormugao Port Trust, in preference to the serving employees and their dependents.

(b) In case such beds remain un-occupied, they may be allowed to the serving employees and their spouses and spouses|dependent minor children of eligible deceased employees, if so required.

(c) In case such bed is allotted to the serving employee and|or his dependent and is subsequently required to accommodate the beneficiaries under these Regulations the serving employee, his|her dependent shall not be discharged prematurely and the beneficiaries under these Regulations requiring the bed will have to wait till a bed is available in the Hospital.

(d) If the medical circumstances of the beneficiaries of these Regulations seeking admission into the Port Trust Hospital are such that, in the judgement of the CMO, he or she needs medical attention or hospitalisation as an emergency may be given admission even in excess of the number of earmarked beds for such beneficiaries but such hospitalization should be limited to the minimum period considered necessary by the Chief Medical Officer.

4. Contribution.—(1) To become member for availing medical benefits under these regulations is purely voluntary. Only those retired employees' spouses|minor dependent children of eligible deceased employees who make payment either by deduction from their retirement dues or in cash, of the one time lumpsum contribution are eligible for availing medical benefits. The amount of one time lumpsum contribution will be determined by the Board from time to time.

Note :—For the purpose of Regulation 2, the expression "Class I, Class II, Class III and Class IV" has the same meaning as respectively assigned to it in the Mormugao Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1964. The actual classification will, however, be determined with reference to the post held by the employee at the time his|her retirement|death|invalidation.

(2) The benefit under these regulations would not be admissible until a retired employee or his|her spouse and, in the case of an eligible deceased employee, his|her surviving spouse has paid the prescribed onetime lumpsum contribution.

(3) The lumpsum contribution once paid or any part thereof, will not be refunded on any ground whatsoever except as provided in Regulation 5(4).

(4) When the diet is supplied while undergoing treatment as inpatient, a surcharge of 5 per cent will be levied in addition to the full charge for the same.

(5) Full charges will be recovered when the blood is supplied while undergoing treatment as inpatient.

5. Registration.—(1) The application in the prescribed proforma Annexure 'A' (attached) for the medical facilities under these Regulations should be made in duplicate, to the Head of Department from where the employee retired|invalidated or in case of his|her death, by his spouse|dependent children for verification of particulars mentioned therein. While submitting the application, 2 copies of passport size photographs of the retired employees|his spouse and dependent minor children as the case may be should also be sent to Head of Department alongwith a declaration in the proforma Annexure 'C' (attached) that he|she is not gainfully employed in any public|private undertaking and covered by any medical benefit scheme of the undertaking and the receipt of having paid the lumpsum amount referred to in preceding para. This declaration should be renewed every year on the 1st of April.

(2) On receipt of the application by the Head of Department contents of the application will be scrutinised with reference to records available in that department and forwarded to the Chief Medical Officer. The Head of Department or an officer appointed by him while forwarding the application to the C.M.O. should record certificate on the application as detailed hereunder :

> "I have personally verified the contents of the application with reference to records available with this department and it is certified that the applicant is eligible for the benefit under the Mormugao Port Trust Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1989."

(3) In case it is found that the applicant is not eligible for any benefit under these Regulations he should be intimated so in writing by the concerned Head of Department.

(4) If the applicant is found not eligible for benefit under these Regulations in terms of Sub-Regulation (2) of this Regulation, the lumpsum payment made by him will be refunded to him on the basis of the advice of respective Head of the Department.

(5) On receipt of the recommendations from the Head of the Department, the Chief Medical Officer of the Mormugao Port Trust will issue to the retired| invalid employee or spouse or eligible dependent children as the case may be, an identity card in the prescribed proforma Annexure 'B' (attache) with a copy of photograph duly pasted on it. The second copy of the photograph should be pasted on the application and kept for records

(6) If the retired emplyee or his spouse in case of death of employee is gainfully employed in pulic| private undertaking and covered by any medical benefit scheme of the undertaking, he|she should intimate the C.M.O. immediately in writing. On receipt of such information CMO should take necessary action to cancel the identity card issued to him|her.

(7) A monthly return in respect of such identity cards issued|cancelled during the month should be sent to Financial Adviser and Chief Accounts Officer on or before 10th of the succeeding month.

6 Charges to be paid by retired empolyees and|or their spouses|spouses of eligible deceased employees gainfully employed in public|private undertaking.—(1) Full medical charges at outsiders rate for investigations, medicines, and other facilities obtained from Board's hospital will be charged, for which a receipt will be issued to enable him to obtain reimbursement from the employer.

(2) An outpatient consultation fee of Rs. 6|- for CMO, Rs. 5|- for MO and Rs. 3|- for AMO will be charged.

(3) While a retired employee|spouse|eligible dependent child as the case may be is admitted as an indoor patient in the Board's hospital advance payment must be a fair condition for admission. The said amount should be assessed in such a manner so as to cover the bed charges as well as operation charges etc. for a period of 10 days initially subject to a minimum of Rs. 100.

(4) If during the course of 10 days it is anticipated that the retired employees'spouses or eligible dependent children, as the case may be, require prolonged treatment the amount required towards the charges etc. for the remaining days should also be collected in advance.

(5) It is the personal responsibility of the Doctor who advises the admission of the case to ensure that the advance payment has been made by the patient before he is admitted to the Ward. If the employee| his spouse or his dependent minor children as the case may be are discharged from the hospital earlier than anticipated, the balance amount will have to be refunded by the FA&CAO on the strength of the advice received from the C.M.O. duly explaining the case.

(6) The particulars of amounts collected towards the charges referred to in this sub-Regulation may be entered in a Register maintained by the C.M.O. and the amount so collected should be deposited on the next day with FA&CAO duly quoting the money receipt number etc. in the column provided for the purpose.

(7) A completion report for all the in patient cases may invariably be sent to the FA&CAO to make necessary final adjustments in respect of the advance money received and kept under suspense account.

(8) The responsibility of internal check and the accountal of the remittances made in this respect rests with the Chief Medical Officer. The FA&CAO during the course of his periodical inspections should also scrutinize the register maintained in terms of the preceding para in regard to the efficient way of maintenance etc.

7. Penalty.—(1) The renewal of the declaration referred to in Regulation 5(1) is the sole responsibility of the retired employee|his spouse|spouse|minor dependent children of eligible deceased employees as the case may be.

(2) If a retired employee|his spouse|spouse|dependent minor child of the eligible deceased employee who have enjoyed benefit under this Regulation under one time lumpsum payment is subsequently found to be gainfully employed in the public|private undertaking during the period in which he|she had availed the treatment, the cost of full medical treatment at outsiders rate with 5 per cent penalty charges will be levied, and collected from them and they will forfeit the right to avail further benefit under these Regulations.

8. Miscellaneous.—(1) A retired employee|spouse|spouse of the eligible deceased employee registered as a member under Regulation 5(1) having been subsequently gainfully employed in a public|private undertaking will be eligible to receive medical attendance under Regulation 6. However, he|she reserves the right for availing benefit under these regulations as a member under clause 5(1) on notifying the C.M.O. on conclusion of appointment in public|private undertaking, when he shall be restored the benefit under these Regulations as a member under clause 5(1).

(2) The C.M.O. will ensure that the medical facilities are extended only to the persons enumerated in the identity cards.

(3) The C.M.O. is required to maintain a separate register in the form shown in Annexure 'D' (attached) showing therein the persons to whom the medical facilities are extended under these regulations and this register will be made available for periodical inspection of the FA&CAO.

9. Expenditure on providing medical benefits to the retired employees.—The contribution and other charges collected from beneficiaries under these Regulations will be credited to the Mormugao Port Trust Employees' Welfare Fund and the expenditure on providing medical benefit will also be met from that Fund.

10. Interpretation.—Where a doubt arises as to the interpretation of these Regulations the matter will be referred to the Chairman, Mormugao Port Trust, whose decision shall be final.

ANNEXURE 'A'

MORMUGAO PORT TRUST

APPLICATION FORM FOR JOINING THE MORMUGAO PORT TRUST EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY) MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1989

1. Name of the retired employee :
(in block letters)
2. (a) Designation :
(b) Staff No. :
(c) Department :
3. Date (i) Appointment
(ii) Retirement
4. Last Pay Drawn
5. Names of surviving wife/husband and dependant children with date of birth (to be supported by attested copies of birth certificates)

Name	Relation	Date of birth	Present age
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			

6. Name of the applicant.
7. Permanent address :

(Signature of applicant)

NOTE: — Passport size photographs of the members joining this Scheme must accompany.

ANNEXURE 'B'

MORMUGAO PORT TRUST

MORMUGAO PORT TRUST EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1989

Identity Card No

1. Name of the retired employee : Shri/Smt.
2. Name of surviving wife/husband :

3. Names of dependant children :
(only in case employee died after 10 years service in Mormugao Port Trust)

Name	Date of birth	Present age
(i)		
(ii)		
(iii)		
(iv)		
(v)		

4. Designation on the date of retirement with name of Department and Staff no. :

5. Date of Retirement :

6. Last Pay Drawn :

7. Rate of contribution : Rs.—

8. Marks of Identifications
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

9. Particulars of payment
(i)
(ii)
(iii)

10. Signature of Retired Employee/applicant ————————

11. Singature of Head of the Dept., with rubber stamp. ————————

ANNEXURE 'C'

MORMUGAO PORT TRUST

DECLARATION TO BE FILLED BY RETIRED EMPLOYEES AT THE TIME OF JOINING THE MORMUGAO PORT TRUST EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1989 AND THEREAFTER ON 1st of APRIL EVERY YEAR

1. I the undersigned ———— Staff No. ———— Designation ———— of ———— Dept. retired from the service of the Board with effect from ———— do hereby declare that I am/I am not employed in any public or private Sector undertaking and am/am not covered by any medical benefit scheme by such Employer.

2. (In case of those who are employed gainfully in public or private sector job).

I took up this job on ———— and my term of appointment is for a period from ———— to ———— I understand that I am not entitled to free consultation, free medicines, free investigation from the Board's hospital for duration of this appointment as per the Mormugao Port Trust Employees' (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1987.

Signature ————
Identity Card No. ————
Issued by ————

ANNEXURE 'D'

MORMUGAO PORT TRUST

FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED UNDER THE MORMUGAO PORT TRUST EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1989

Name of the retired employee	No. of family members including the retired employee	Designation Staff No. and name of Dept.	Contribution deposited with FA & CAO/CMO					Remarks
			For the period from — to—	Amount Rs.	Date of payment	Cash receipt no.	Signature of the officer collecting the contribution	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990